न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री मुकेश चौधरी (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :—1097/2017

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. मानदास पुत्र कुनणदास उर्फ कुंदनदास, जाति वैष्णव निवासी गागुड़ा तहसील सोजत जिला पाली (राजस्थान)	1.	सरकार जरिए तहसीलदार सोजत (लैण्ड होल्डर), तहसील—सोजत जिला पाली (राजस्थान)

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः—

1. अधिवक्ता श्री गजेन्द्र परिहार मय वादी स्वयं उपस्थित।

2. प्रतिवादीगण स्वयं उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक — 12.03.2018

अधिवक्ता मय वादी ने राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के पिता कुनणदास के नाम से ग्राम गागुड़ा तहसील सोजत की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 351, 109, 1150 कुल किता खसरा 03 रकबा 3.53 हैक्टर बा0दो0 व बा0अ0 स्थित है। वादी के पिता कुनणदास पुत्र हरीदास के नाम की खातेदारी कृषि भूमि सरहद ग्राम गागुड़ा तहसील सोजत के खसरा नम्बर 351, 1109, 1150 कुल किता खसरा 3 रकबा 3.53 स्थित है। वादी के पिता मानसिक रूप से अस्वस्थ होने से आज से करीब 30 वर्ष पूर्व बिना बताये घर छोड़कर चले गये तब वादी के पिता की करीबन उम्र 50 वर्ष थी, जिस अनुसार वादी के पिता की वर्तमान उम्र करीबन 80 वर्ष वृद्व होती है। वादी के पिता कुनणदास के घर छोडकर चले जाने के बाद आज तक उनके बारे में वादी या किसी भी व्यक्ति ने जिनके द्वारा इनके बारे मे सुना जाना प्रत्याशित है, जीवीत होना नही सुना गया है। वादी के पिता के अब भविष्य में मिलने की कोई उम्मीद नही है। ऐसी स्थिति में वादी के पिता कुणनदास पुत्र हरीदास कौम साद की मृत्यु हो जाने की कानुनन अवधारणा है तथा कुणनदास पत्नि यानि वादी की माता का भी स्वर्गवास हो चुका है। वादी कुणनदास का एकमात्र जाईन्दा सगा पुत्र है जो कुणनदास की अचल चल सम्पति के उत्तराधिकारी वारिस है। वादी के अलावा कुणनदास के कोई उत्तराधिकारी या वारिस नही है। वादी के पिता के घर से निकल जाने व गुम होने की गुमशुदगी रिपोर्ट पुलिस थाना सोजतसिटी में गुमशुदगी रिपोट्र संख्या 06 दिनांक 07.09.2010 को दर्ज करवाई थी, जिसका आज दिन तक कोई पता नही चला है, जिसके बाद प्रतिवादी के समक्ष भी वादी ने अपने पिता के गुम हो जाने व कोई पता नही चलने से उक्त कृषि भूमि का नामान्तरकरण वादी के नाम भरने का निवेदन किया। जिस पर भी प्रतिवादी ने दिनांक 21.12.2012 को एक आम सूचना भी प्रकाशित की थी। वादी कुणनदास पुत्र हरीदास एकमात्र जाईन्दा पुत्र प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी वारिस होने से उपरोक्त कृषि जोत अपने नाम खातेदारी हक होना घोषित करवाकर दर्ज करवाने का अधिकारी है। अतएव यह वाद खातेदारी घोषणा का प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी तहसीलदार सोजत भूमिधारी के विरूद्ध कोई सहायता नही चाही गयी है। वादी के पिता ग्राम गागुड़ा अपने रहवासीय मकान से निकल जाने व उनकी कृषि भूमि सरहद मौजा ग्राम गागुड़ा में स्थित होने

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

से बमुकाम गागुड़ा मे वाद कारण पैदा हुआ है, जो न्यायालय हाजा के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है। इस प्रकार माफिक दावा वादी का वाद डिक्री किये जाने तथा वादी के पिता कुन्दनदास पुत्र हरिदास की उक्त कृषि भूमि वादी के नाम की खातेदारी घोषित कर वादी का नाम उनके पिता के स्थान पर दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की है। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी जरिए सम्मनस वास्ते जवाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार, सोजत ने दिनांक 27.11.2017 को ज0दा0 पेश किया, सामिल मिसल किया गया। दिनॉक 10.01.2018 को तनकियात संख्या 1 से 3 कायम की गई, सामिल आदेशिका दि0 10.01.2018 है। अधिवक्ता वादी ने शहादत वादी pw-1 मानदास का तस्दीकसुदा शपथ–पत्र दिनॉक 12.03.2018 को पेश किया, जिस पर मुख्य परीक्षण करवाया गया तथा इसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात प्रदर्श Exp 1 से 4 जमाबन्दी सम्वत् 2072–75, गुमसुदा व्यक्ति रिपोर्ट, सरपंच प्रमाण–पत्र 07.07.2011 प्रदर्शित करवाया जाकर एवं जिरह प्रति0 तहसीलदार, सोजत से करवाकर बयान कलमबद्ध किये गये, तथा तहसीलदार, सोजत आम सूचना 20.12.2012 सामिल मिसल किये गये। अन्य शहादत वादिया पेश करना नही चाहने से शहादत वादी बन्द की गई।

बहस अधिवक्ता वादीया एवं तहसीलदार, सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादिया ने व्यक्त किया कि वाद–पत्र में वर्णित तथ्यो की संपुष्टि वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र तस्दीकसुदा एवं मुख्य परीक्षण में कलमबद्व करवाये गये बयान एवं प्रदर्शित करवाये गये दस्तावेजात Exp-1 से Exp-4 यथा जमाबन्दी सम्वत् 2072–75, गुमसुदा व्यक्ति की रिपोर्ट दि0 07.09.2010, प्रमाण–पत्र सरपंच गागुड़ा दि0 07.07.2011 तथा आम सूचना दि0 12.12.2012 तहसीलदार, सोजत से होती है। जिससे वादी का वाद स्वीकार किये जाने तथा उक्त विवादित कृषि भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी के पिता कुनणदास उर्फ कुदनदास पुत्र हरिदास के स्थान पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की ईश्तदुआ की है। प्रतिवादी तहसीलदार, सोजत ने वादी का वाद डिक्री किये जाने पर कोई आपति व्यक्त नहीं की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद–पत्र मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात प्रदर्श– Exp-1 से Exp-4 तस्दीकसुदा शपथ–पत्र एवं कलमबद्व किये गये बयान मानदास से वादी के पिता का करीब 30 वर्ष पूर्व गुम हो जाना तथा लगभग 12 वर्ष से आज तक अता–पता नहीं होने अर्थात लापता होने के तथ्य बखूबी साबित हो चुके है। वादी के अतिरिक्त अन्य कोई उतराधिकारी/वारिसानो की जॉच करवाई जाकर विधिक नामान्तरकरण दर्ज किया जाना लाजमी एवं विधिसम्मत है। फलस्वरूप वादी का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना तथा प्रतिवादी के स्थान पर वादी एवं अन्य विधिक वारिसानों की जॉच करके विधिक नामानतरकरण दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार, सोजत को आदेशित किया जाना उचित समझते हैं।

–: आदेश :–

अतः डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा गागुड़ा तहसील–सोजत में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 351, 1109 एवं 1150 कुल किता 3 रकबा 3=53 हैक्टर किस्म बा0दो0 व बा0अ0 भूमि की गुमसुदा पैतृक व पुश्तैनी आराजी है, अर्थात

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

पिता कुनणदास उर्फ कुन्दनदास पुत्र हरिदास के स्थान पर वादी मानदास पुत्र कुनणदास एवं अन्य विधिक वारिसानों की जॉच करके नामान्तरकरण दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार, सोजत को आदेशित किया जाता है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से मुर्तिब किया जाकर पत्रावलीबद्व किया जावें। तहसीलदार, सोजत को निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद पालना तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
(जिला–पाली)

दिनांक आज दिनांक 12.03.2018 को सरे ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
(जिला–पाली)

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज